'आकाश' मामले में नया मोड़

आईआईटी ने मांगा हर्जाना

डाटा विंड के खिलाफ दावा, एंटी सूट इंजंक्शन भी लगाया

जोधपुर

justice.jodhpur@patrika.com

आईआईटी राजस्थान के महत्वाकांक्षी आकाश प्रोजेक्ट को लेकर अदालती विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में आईआईटी की सहयोगी रही डाटाविंड कम्पनी ने जहां अमरीकी अदालत में मुकदमा दायर करने का नोटिस दिया है, वहीं आईआईटी-आर ने इसके खिलाफ जोधपुर के जिला न्यायालय में एंटी सूट इंजंक्शन (वाद निरोधक निषेधाज्ञा) पेश कर डाटाविंड कम्पनी को इससे रोकने की गुहार लगाई है। आईआईटी डाटा विंड कम्पनी के खिलाफ मानहानि का वाद भी दायर किया है। इसमें बताया गया है कि डाटाविंड के कारण आईआईटी-राजस्थान की साख विश्वस्तर पर प्रभावित हुई है। संस्थान की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंची है। लिहाजा डाटाविंड से सांकेतिक रूप से हर्जाने के तौर पर दो लाख रुपए आईआईटी राजस्थान को दिलाने का अनुरोध किया गया है।

पढ़ें आईआईटी @ पेज 11

राजस्थान पत्रिका
जोधपुर . बुधवार
11.07.2012

आकाश टैबलेट सप्लाई का मामला

लंदन की कंपनी के खिलाफ मानहानि का दावा

भास्कर न्यूज | जोधपुर

शहर की एक अदालत ने मंगलवार को आकाश टैबलेट सप्लाई करने वाली लंदन की डाटा विंड कंपनी के खिलाफ 'एंटी सूट इंजेक्शन' व दो लाख की सांकेतिक मानहानि का नोटिस जारी कर कंपनी के निदेशक सुनील तुली से जवाब तलब किया है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जोधपुर मेट्रो) अनूप कुमार सक्सेना ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर और इसके सहायक प्रोजेक्ट ऑफिसर अनुपम गुप्ता व सहायक प्रोफेसर संदीप यादव की ओर से दायर एंटी सूट इंजेक्शन की सुनवाई के तहत दिए।

संस्थान व फैकल्टी की ओर से अधिवक्ता लेखराज मेहता, रमित मेहता, विकास बालिया व संजीत पुरोहित की टीम ने पैरवी करते हुए कहा कि पूर्व में आईआईटी जोधपुर के माध्यम से अनुपम गुप्ता व संदीप यादव ने लंदन की डाटा विंड कंपनी के साथ एक लाख टैबलेट सप्लाई का एग्रीमेंट किया था, लेकिन कंपनी ने 6,440 टैबलेट ही सप्लाई किए। इनमें से भी मात्र 650 टैबलेट टेस्ट में खरे उतरे। ऐसे में आईआईटी ने एग्रीमेंट ही रिजेक्ट कर दिया। इस पर डाटा विंड कंपनी ने आईआईटी के दोनों फैकल्टीज के खिलाफ एग्रीमेंट की अवहेलना करने पर न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा दायर करने का लीगल नोटिस भेजा था। इस पर आईआईटी जोधपुर व इसके दोनों फैकल्टी की ओर से कंपनी के खिलाफ एंटी सूट इंजेक्शन मुकदमा और दो लाख रुपए की टोकन मनी के रूप में मानहानि का दावा पेश किया गया।